Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 163-2025/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2025 (BHADRA 26, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 सितंबर, 2025

संख्या 45/जीएसटी–2.–हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 54 की उप–धारा (6) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, पंजीकृत व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणी को अधिसूचित करते हैं, जिन्हें उक्त अधिनियम के अधीन अनंतिम आधार पर प्रतिदाय की अनुमति नहीं दी जाएगी, अर्थात्:–

(क) कोई भी व्यक्ति, जिसने हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 10ख के अधीन आधार प्रमाणीकरण नहीं करवाया है;

(ख) कोई भी व्यक्ति, जो नीचे दी गई सारणी के खाना (2) में विनिर्दिष्ट अध्याय या शीर्ष या उप–शीर्ष या टैरिफ मद के अधीन आने वाली, खाना (3) में विनिर्दिष्ट विवरण वाले माल के प्रदाय में लगा हुआ है :–

सारणी

क्रम संख्या	अध्याय/ शीर्ष/ उप–शीर्ष / टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	0802 80	सुपारी
2.	2106 90 20	पान मसाला
3.	24	तंबाकू और निर्मित तंबाकू के विकल्प
4.	3301	आवश्यक तेल

व्याख्या.–

(i) इस अधिसूचना में, "टैरिफ मद", "उप–शीर्ष", "शीर्ष", और "अध्याय" का अभिप्राय होगा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्रमशः कोई टैरिफ मद, शीर्ष, उप–शीर्ष और अध्याय;

(ii) धारा और अध्याय नोट तथा प्रथम अनुसूची के सामान्य व्याख्यात्मक नोट सहित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची, के निर्वचन के लिए नियम, यथासंभव, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

2. यह अधिसूचना प्रथम अक्टूबर, 2025 से लागू होगी।

आशिमा बराड़,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 17th September, 2025

No.45/GST-2.— In exercise of the powers conferred under sub-section (6) of section 54 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council hereby notifies the following category of registered persons who shall not be allowed refund on provisional basis under the said Act, namely :–

(a) any person, who has not undergone Aadhaar authentication under rule 10B of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017;

(b) any person, who is engaged in the supply of the goods bearing description specified in column (3), falling under Chapter or heading or sub-heading or tariff item specified in column (2) of the Table given below:

Table

S. No.	**Chapter/Heading/ Sub-heading/ Tariff item**	**Description of Goods**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	0802 80	Areca nuts
2.	2106 90 20	Pan masala
3.	24	Tobacco and manufactured tobacco substitutes
4.	3301	Essential oils

Explanation.–

(i) In this notification, “tariff item”, “heading”, “sub-heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading, and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act 51 of 1975);

(ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act 51 of 1975), including the section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st October, 2025.

ASHIMA BRAR,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

12111—C.S.—H.G.P., Pkl.